न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमलेश बनाम भूमिधारी तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु.नं. - 165/2022
30.01.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 30/01/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह **(RAS)**

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
165 / 2022	2022 / 424	23.12.2022	30.01.2024

उनवान प्रकरण

1. कमलेश पुत्र स्व0 गोपाल आयु 35 वर्ष
2. हरिसिंह पुत्र स्व0 गोपाल आयु 32 वर्ष
3. रामजीलाल पुत्र स्व0 गोपाल आयु 30 वर्ष
4. श्रवणी देवी पत्नी स्व0 गोपाल आयु 60 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण घाटमदास तन् नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—— वादीगण——

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

——प्रतिवादी——

उपस्थितः—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:56 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत् घोषणा एवं दुरुस्ती ... अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

30/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम घाटमदास वाली पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 223, 224, 226, 227, 229 से 231 कुल किता 7 कुल रकबा 3.78 हैक्टर के 1/6 हिस्से की व भूमि खसरा नम्बर 79, 93 कुल किता 2 रकबा 2.83 हैक्टर सम्पूर्ण की खातेदारी गोपाल पुत्र नाथू जाति जाट के नाम वर्तमान में दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त वर्णित भूमियां वादीगण की पैतृक व मौरूसी भूमियां हैं। जिसकी खातेदारी पूर्व में वादीगण के पड़दादा/पड़दादेर ससुर नाथू पुत्र रेखा के नाम दर्ज होकर जरिये विरासत वादीगण के पिता व पति स्व0 गोपाल पोता नाथू के नाम दर्ज हुयी हैं। उक्त नाथू की विरासत में वादीगण के पिता व पति गोपाल का नाम के आगे वल्दियत में पिता सुरजा की जगह बड़े दादा नाथू का नाम दर्ज हुआ हैं। जो बाद में गोपाल पुत्र नाथू दर्ज हो गया हैं। नाथू, गोपाल का बड़ा दादा रहा हैं। वादीगण के पिता व पति जो ग्रामीण परिवेश के भोले भाले व्यक्ति थे जो की पढ़े लिखे नही थे। जिन्होने अपनी उक्त खातेदारी की गलत इन्द्राज बाबत् पूर्व में कोई जानकारी नही रही हैं, ना ही वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज बाबत् कोई जानकारी रही हैं क्योंकि वादीगण अपनी उक्त भूमियों पर पूर्णरूपेण काबिज होकर काश्त कार्य निरन्तर करते चले आ रहे थे व वर्तमान में भी वादीगण पूर्णतया काबिज काश्त हैं। उक्त वर्णित भूमियों का वादीगण द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु जून 2022 में पटवरी हल्का से निवेदन किया तो उन्होने रिकार्ड देखकर उक्त गलत इन्द्राज बाबत् बताया तब वादीगण ने समस्त रिकार्ड नवीन व पुराने रिकार्ड की नकल निकलवाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दिनांक [illegible] 2022 को रिकार्ड शुद्ध करने बाबत् निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय [illegible] कराने हेतु कहें जाने पर वादीगण को यह वादपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। खातेदारी में गलत इन्द्राज से वादीगण को सख्त हकतल्फी है। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:56 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

खातेदारों को दी जाने वाली सुविधाओं से भी वादीगण को वंचित रहना पड़ता हैं। इस कारण भी उपरोक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक व न्यायोचित हैं। दावा वादपत्र में वर्णित भूमियों के रिकार्ड में दर्ज गोपाल पुत्र नाथू को दुरूस्त कराने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दिनांक 30.11.2022 को निवेदन किया तो न्यायालय में वाद दायर कर शुद्व कराने बाबत् कहे जाने पर बिनाय दावा पैदा होकर लगातार हो रहा हैं, दावा हस्व अन्दर मियाद हैं। वाद वास्ते घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 कमलेश का मुख्य परीक्षण में वादीगण साक्ष्य गवाहान् में जैसाराम पुत्र सुरजाराम, सुरजाराम पुत्र जयराम, धोलाराम पुत्र भूराराम, धापली देवी पत्नि बोदूराम के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। प्रकरण में अंकित तथ्यों के संवंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1859/भू.अ./23 दिनांक 10.10.2023 के द्वारा प्राप्त हुई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से अभिशंषा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा साक्ष्य वादीगण में वादी कमलेश व गवाहान् के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादीगण ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एंव [illegible] अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2019 से 2022, [illegible] 2044 से 2047, 2047 से 2050, 2045 से 2048, 2046 से [illegible] 2055 से 2058, 2059 से 2062, 2063 से 2066, 2067 से 2070, 2071 से [illegible]74 –दो जमाबन्दीयॉ, 2074–2077 तीन

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

20/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला- नीमकाथाना

जमाबन्दीयॉ, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, आधार वर्ष 2042 की जमाबन्दी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट की प्रति, साक्ष्य वादी में प्रस्तुत साक्ष्य वादी व गवाहान् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकार वादी के नाम हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। साक्ष्य वादी में वादी कमलेश का मुख्य परीक्षण में एंव वादी साक्ष्य गवाहान् में प्रस्तुत लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 223, 224, 226, 227, 229 ता 231 कुल किता 7 कुल रकबा 3.78 हैक्टर के 1/6 हिस्सा व भूमि खसरा नम्बर 79, 93 कुल किता 2 कुल रकबा 2.83 हैक्टर सम्पूर्ण की खातेदारी गोपाल पुत्र नाथू जाति जाट के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि खसरा नम्बरान की खातेदारी नाथू पिता रेखा जाति जाट की विरासत से प्राप्त होना तथा नाथू गोपाल का पिता न होकर दादा होना तथा गोपाल का पिता का नाम सुरजाराम होना व गोपाल की मृत्यु हो जाने पर गोपाल के वारिसान् वादीगण श्रवणी देवी पत्नि गोपाल, कमलेश, हरिसिंह, रामजीलाल पुत्रगण गोपाल होना अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया गया है। वादी के दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में वादीगण के पिता के पिता का नाम गोपाल पुत्र सुरजाराम पुत्र नाथू दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादीगण के जरिये विरासतन खातेदारी दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। विरासत के बाद लगातार चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण के पिता का नाम गोपाल पुत्र नाथू दर्ज रिकार्ड है जो नाथू गोपाल का पिता नहीं होकर दादा होने व गोपाल का पिता का नाम सुरजाराम होना प्रकट होता है। अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादीगण के पिता के पिता का नाम गोपाल पुत्र नाथू के स्थान पर गोपाल पुत्र सुरजाराम [illegible] अभिलेख में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया [illegible] न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:56 IST
Reason: SelfAttested

30/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि राजस्व ग्राम घाटमदास वाली पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 223, 224, 226, 227, 229 से 231 कुल किता 7 कुल रकबा 3.78 हैक्टर के 1/6 हिस्से व भूमि खसरा नम्बर 79, 93 कुल किता 2 रकबा 2.83 हैक्टर सम्पूर्ण की खातेदारी में दर्ज गोपाल पुत्र नाथू के स्थान पर गोपाल पुत्र सुरजाराम दुरूस्त कर वादीगण को उक्त भूमियों का हिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

30/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:56 IST
Reason: SelfAttested